

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

33वीं बैठक - दिनांक : 23 जून, 2010 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्च, 2010 तक की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 33वीं बैठक होटल मधुबन, देहरादून में दिनांक 23 जून, 2010 को आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तराखण्ड डॉ. रमेश पोखरियाल “निःशंक” एवं उनके सहयोगी समाज कल्याण एवं आपदा मंत्री, श्री खजान दास तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के करकमलों से दीप प्रज्जवलित कर सम्पन्न किया गया।

इस बैठक में विशिष्ट अतिथि श्री एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सचिव, श्री सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), श्री एस.के. मुट्टू, अपर मुख्य सचिव (समाज कल्याण), श्री एस. राजू, प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी विकास), उत्तराखण्ड शासन, श्री डी. मजुमदार, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल, श्री वी. एस.बाजवा, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं श्री पी.के. मिश्रा, महाप्रबंधक, नाबार्ड के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के आग्रह पर माननीय मुख्य मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निःशंक’ ने आज एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड की अपनी वेबसाइट (www.slbcuttarakhand.org.in) को लोकार्पित किया। इससे उत्तराखण्ड के बैंकिंग क्षेत्र में हुई प्रगति से पूरी दुनिया को जानकारी प्रदान हो सकेगी। इसके उपरांत बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा बैंकों से संबंधित “वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2010-2011” नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -

माननीय मुख्यमंत्री, विशिष्ट अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों का अभिनन्दन करते हुए महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल ने प्रदेश के समस्त बैंकों द्वारा राज्य के विकास में योगदान एवं राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के सहयोग हेतु आभार प्रकट किया। उन्होंने बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 की समाप्ति तक की गई प्रगति से संबंधित ऑकड़ों से सदन को अवगत कराया।

उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सदन में उपस्थित प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि विगत वर्ष के ऋण-जमा अनुपात 38.42 % की तुलना में इस वर्ष ऋण-जमा अनुपात 10.36 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि कर 49.78 % तक पहुँच गया। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 5247.48 करोड़ के सापेक्ष रु. 5114 करोड़ की प्राप्ति दर्ज की है, जोकि लगभग 97 प्रतिशत है। उन्होंने आशा प्रकट की कि भविष्य में सभी बैंक वर्ष 2010-2011 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत से भी अधिक उपलब्धि दर्ज करेंगे।

उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास हेतु पहाड़ के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी बैंकों से आव्वान किया। राज्य के समग्र उत्थान में बैंकों द्वारा सार्थक सहयोग करते हुए 258 बैंक सेवारहित अटल आदर्श ग्रामों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बिजनेस कोरेस्पोन्डेन्ट की नियुक्ति की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 216 चयनित गाँव, जिनकी आबादी 2000 से अधिक है, में बुनियादी बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों को आवटित कर दिए गए हैं और आग्रह किया कि इन गाँवों में मार्च, 2011 तक बैंकिंग सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे सरकार से अनुरोध किया कि प्रत्येक जिले में आरसेटी की स्थाना हेतु संबंधित बैंकों को समुचित भूमि उपलब्ध कराने की त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

अंत में, उन्होंने बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं प्रदान की और पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आँकड़ों की समीक्षा करते हुए कहा कि बैंकों ने गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक प्रयास कर संतोषजनक प्रगति अर्जित की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि राज्य के हरिद्वार एवं उदम सिंह नगर जिले का ऋण-जमा अनुपात हटा दिया जाए तो राज्य का ऋण - जमा अनुपात 30 % से भी कम रह जाएगा।

इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के जिलों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि लाने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है और जिन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात व वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि कम है, उनसे अनुरोध किया कि वे इस संदर्भ में उचित कदम उठाकर सुधार लाएं। हमारे प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास की अपार सम्भावनाएं हैं, जिसके लिये उन्होंने गढ़वाल एवं कुमांयु मण्डल के आयुक्तों को निर्देशित किया कि वे ब्लाक स्तर पर संबंधित विभाग के नोडल अधिकारियों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ परामर्श कर, एक कोर टीम (Core team) बनाएं और बैठक कर विकास की विभिन्न सम्भावनाओं का पता लगाकर योजनायें तैयार करें और इन योजनाओं को ब्लाक स्तर पर क्रियान्वयन करते हुए प्रगति का निरंतर अनुश्रवण करवाएं।

उन्होंने सदन में उपस्थित शासन के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप क्षेत्र विशेष योजनाएं बनाकर लागू करें। परन्तु ध्यान रहे कि किसी भी एक स्थान पर, एक ही प्रकार की गतिविधियों के लिए अधिक संख्या में वित्तपोषण न किया जाए।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने “ अटल आदर्श ग्राम योजना ” को सफल बनाने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वह इन सभी ग्राम पंचायतों में मार्च, 2011 तक बैंकिंग सुविधायें, बैंक शाखा अथवा बिजनेस कोरस्पोर्ट / बिजनेस फेसिलिटेटर के माध्यम से उपलब्ध करवाएं। इन ग्रामों में राज्य सरकार पहले से ही समस्त मूलभूत अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है, जिसके लिए राज्य में नोडल अधिकारी, श्री गुसाईं को नियुक्त किया गया है। इन सभी गाँवों को एक आदर्श गाँव के रूप में विकसित करना है जिसके लिए राज्य सरकार एवं सभी बैंकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के कार्य बिंदु के अनुसार ग्रामों का आवंटन एस.एल.बी.सी. की 31वीं बैठक में किया गया था परन्तु अब तक किसी भी बैंक द्वारा किसी भी अटल आदर्श गाँव में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना आरम्भ नहीं किया गया है। सभी बैंकों से पनः अनुरोध है कि इन सभी ग्राम पंचायतों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करावाएं।

इस वर्ष प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अधिक उपलब्धि की गई है। उत्तराखण्ड राज्य के विकास के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग लगाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए लक्ष्य बढ़ाने की आवश्यकता है।

वीर चन्द्र सिंह गणेशाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुदान राशि समायोजित करने पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संतोष प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि बैंकों में अनुदान प्रेषित करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए और यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति के समय अनुदान प्रेषित किया जाए या फिर सम्बद्ध परियोजना पूर्ण होने के उपरांत। इस हेतु निदेशक (पर्यटन) व सचिव (पर्यटन) स्तर पर चर्चा करते हुए आवश्यक संशोधन यदि वांछित हो तो शीघ्र किए जाएं।

राज्य के विकास में उत्तराखण्ड की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका एवं भागीदारी है, परंतु बैंकों द्वारा महिलाओं को वित्तपोषण बहुत कम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिला स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं लेकिन उन सभी का बैंक लिंकेज नहीं हो पाया है। इस दिशा में प्रशासन एवं बैंकों को लक्ष्य निर्धारित कर उनसे सार्थक प्रयास करने की अपेक्षा की।

उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा की गई अब तक की उपलब्धि संजोषजनक है और ऋण-जमा अनुपात भी अधिक बढ़ा है परन्तु यह भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 60 % से बहुत कम है, जिस पर और कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगली बैठक में इससे भी अच्छी प्रगति होगी और बैंकवार, जिलेवार एवं विभागवार की गई प्रगति की समीक्षा हेतु आँकड़े उपलब्ध करावाए जाएंगे।

अंत में शुभ कामनाएं और धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया।

श्री एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का संबोधन :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अपेक्षानुसार राज्य के समग्र विकास के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष एवं बैंक नियंत्रक मिलकर विभिन्न योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु समुचित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बैंक एवं राज्य सरकार के बीच उचित समन्वय स्थापित करने हेतु सरकारी विभाग नोडल अधिकारी के नाम एवं संपर्क दूरभाष संख्या को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा बैंक नियंत्रकों को सूचित करें, ताकि बैंकों से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की आगामी बैठक आयोजित होने से 15 दिन पहले सभी नोडल अधिकारी अपने विभागों की बैंकों से संबंधित प्रगति के आँकड़े, एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों के साथ मिलान कर लें ताकि कोई विसंगति न हो।

मुख्य सचिव के प्रश्न के उत्तर में आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने सदन को अवगत कराया कि जिलों के बी.एल.बी.सी. बैठकों में लाइन डिपार्टमेन्ट के प्रतिनिधियों द्वारा भाग न लिए जाने के कारण बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधक संबंधित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिला प्रशासन इस बैठक में प्रतिभागिता हेतु सभी संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी नामित कर, अग्रणी जिला प्रबंधक को सूचित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कृषि विभाग फसलों का स्केल आफ फाइनेन्स निर्धारित करे ताकि बैंक द्वारा कृषकों को नई दर से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सके।

मुख्य सचिव के प्रश्न के उत्तर में सचिव (उद्यान) ने सदन को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड के चार धाम के मन्दिरों में फूलों की अत्यधिक मांग है, जिसकी खेती के लिए राज्य अनुदान (State Subsidy) का प्रावधान है, इसलिए बैंक इस क्षेत्र में कृषिकरण हेतु अधिक ऋण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जड़ी-बूटी के विभिन्न क्लाइमैटिक जोन में कुल 300 चयनित क्लस्टरों में वृक्ष, झाड़ी एवं घास प्रजाति की जड़ी-बूटी का कृषिकरण के लिये बैंकों को ऋण प्रदान कर सकते हैं। उद्यान विभाग ने 26 प्रजातियों के जड़ी-बूटी के कृषिकरण हेतु स्केल आफ फाइनेन्स निर्धारित कर दिए हैं, जिसे बैंकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में कम वित्तपोषण किया जा रहा है, अतः उन्हें इस दिशा में और अधिक कार्य करना होगा।

मुख्य सचिव के प्रश्न के उत्तर में उद्योग विभाग के प्रतिनिधि ने सदन को अवगत कराया कि हिल एरिया उद्योग योजना के अंतर्गत क्षेत्रवासियों में उद्यमिता विकसित कर, बैंक निवेश बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-2011 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पुष्टि बैठक में की गई। उन्होंने बैंकों द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों पर शीघ्र कार्फाई करने हेतु राजस्व विभाग को समस्त जिला प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने को कहा।

श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.) का संबोधन :

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.) ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे स्तर के पॉली हाऊस में फार्मिंग करने हेतु बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके लिए बैंकों को उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करना होगा।

उन्होंने बताया कि तीन जिलों में आरसेटी की स्थापना हेतु प्रशासन द्वारा 800 से 1000 वर्ग फीट भूमि संबंधित बैंकों को आवंटित कर दी गई है, पाँच जिलों में भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है एवं शेष चार जिलों के संबंध में एन.आई.आर.डी., हैदराबाद को पत्र लिखा गया है जिसका उत्तर प्रतीक्षित है।

उन्होंने बैंकों से अपेक्षा करते हुए कहा कि वेन्चर केपिटल स्कीम के अंतर्गत डेयरी एवं पॉलट्री के आवेदकों को स्वीकृत ऋण राशि से तर्कसंगत, कोलेट्रल सिक्योरिटी ली जाए। उन्होंने पशु पालन विभाग एवं बैंकों से “बिग डेयरी योजना”, जिसमें 10 दुधारु पशु पालने की व्यवस्था है, के लिए व्यापक स्तर पर ऋण देने हेतु निर्देशित किया।

अंत में उन्होंने अपने संबोधन में पुनः विचार प्रकट किया कि गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र के कमिशनर को भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की बैठक में आमंत्रित किया जाए ताकि इस बैठक में लिए गए निर्णयों का जनपद स्तर पर कार्यान्वयन किया जा सके।

सभा के अंत में श्री थीश कपूर, अध्यक्ष उत्तरांचल ग्रामीण बैंक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक द्वारा सभी बैंक अधिकारियों को आगामी बैठक हेतु जून, 2010 तक के सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 20 जुलाई, 2010 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, को भेजने हेतु कहा गया तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।